



Neutral Citation No. -2026: AHC:126700

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19387/2026

प्रिंस सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: कुलदीप कुमार दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -4

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. सूचक की ओर से श्री अनुराग दुबे, विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा आवेदक को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से मिथ्या रूप से इस प्रकरण में फँसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया गया कि कथित अपराध के संपादन में आवेदक की संलिप्तता स्थापित नहीं होती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपों की असत्यता दर्शाने हेतु अन्य अनेक तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वे परिस्थितियाँ भी बताई गईं, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जिनके कारण अभियुक्त को झूठा फँसाया गया। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि वह विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेगा। यह भी अवगत कराया गया कि आवेदक दिनांक 02.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) आर.टी.जी.एस. के माध्यम से आवेदक के खाते में स्थानांतरित किए गए हैं, और इसलिए आवेदक के विरुद्ध अपराध बनता है, इस प्रकार आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।
5. सूचक के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क के प्रत्युत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि न्यायालय कुछ उदारता प्रदर्शित करे तो, आवेदक ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) अदा करने के लिए तैयार है।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, अतः, वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।
7. बार के समक्ष प्रस्तुत तर्कों के आलोक में अभिलेख का परिशीलन करने के उपरांत तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, साक्ष्यों की प्रकृति तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ किए जाने की संभावना के संबंध में किसी ठोस सामग्री के अभाव को ध्यान में रखते हुए आवेदक ₹2,00,000/- अदा करने को तैयार है, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह मत है, कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा।
8. यह आदेशित किया जाता है कि **प्रिंस सिंह** को, जो मुकदमा अपराध संख्या 112/2026, धारा 319(2), 318(4), 109(1), 308(5), 127(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना-सिकरारा, जनपद-जौनपुर से संबंधित है, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो समान धनराशि के स्थानीय सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाए—
 - (i) आवेदक ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) दो समान किशतों में अदा करेगा। प्रथम किशत आवेदक की रिहाई की तिथि से एक माह के भीतर, जबकि दूसरी किशत का भुगतान, इसके एक माह उपरांत किया जाएगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएगा या उत्पीड़ित नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।
 - (v) आवेदक उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vi) आवेदक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026